(वाद संख्या 140/2011 अनवान जैसाराम आदि बनाम पूर्णराम आदि)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 140/2011

1. जैसाराम उर्फ जसराम पुत्र श्री जगमालराम जाति मेघवाल निवासी चक 9 पीबीएन ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. अर्जनराम पुत्र श्री जगमालराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. आसाराम पुत्र श्री जगमालराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

——वादीगण

बनाम

1. पूर्णराम पुत्र श्री गणपतराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. रामप्रताप पुत्र आदूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. नन्दराम पुत्र आदूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. कमला पुत्री आदूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. निकोदेवी पत्नी आदूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. बीरबलराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. चुन्नीराम पि0मु0 पारी पत्नी लेखुराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. अजमेर कौर पत्नी श्री प्रीतम सिंह जाति बाजीगर निवासी वार्ड नं. 24 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
9. हरसुखी देवी पत्नी श्री भोजाराम जाति मोची निवासी राजकीय अस्पताल के पास, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

10/1. छगनलाल सोलंकी पुत्र निवादान जाति मोची साकिन प्रतापनगर जोधपुर तहसील जोधपुर।

10/2. जोगेन्द्र सोलंकी पुत्र छगनलाल जाति मोची साकिन प्रतापनगर जोधपुर तहसील जोधपुर।

10/3 वंदना सोलंकी पुत्री छगनलाल जाति मोची साकिन प्रतापनगर जोधपुर तहसील जोधपुर।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

——प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88, 53 व 188 बाबत घोषणा व खाता विभाजन</u>

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1.	श्री मोहन मुन्जाल अधिवक्ता	**——वादीगण**
2.	सोहनलाल सुथार अधिवक्ता	**——प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5**
3.	श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता	**——प्रतिवादी सं. 9,10/1ता 10/3**
4.	राजपैरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा	**——प्रतिवादी सं. 4**

—:: निर्णय ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:10:20 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :— 17/06/2022

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा पेश किया कि चक 9 पीबीएन की 18.913 है. व चक 10 पीबीएन बी की 0.759 है. कुल 19.672 है. भूमि सांझा खाता की भूमि है जिसका वादपत्र की दफा 5 के मुताबिक घरू बंटवारा किया हुआ है जिस पर वादीगण काबिज काश्त है। चक 10 पीबीएन बी की भूमि अभी गणपतराम के नाम है। गणपतराम के पुत्र भागीरथ एवं पारी के खोलायत पुत्र चुनीराम ने अपना हिस्सा विक्रय कर

17.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

दिया है। वादी सं. 1 जैसाराम ने अपने हिस्सा में से चक 9 पीबीएन बी की 2 बीघा भूमि बेच दी है जिसका नामांतरण हो चुका है। प्रश्नगत भूमि सांझा खाता की भूमि है जिस कारण पक्षकारान के मध्य विवाद बना रहता है इसलिए वादीगण मुताबिक घरू बंटवारा घोषणा पाने एवं खाता विभाजन करवाने के हकदार है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 5, 6, 9 व 10/1 ता 10/3 की ओर से वकील उपस्थित। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र प्रतिवादी सं. 1–2–3 व 5 ने पेश किया कि दावा की मद सं. 1 से 5 तक स्वीकार है। दावा की मद सं. 6 भूमि के बंटवारा व कब्जा काश्त की हद तक स्वीकार है। बाकि तथ्य लाईल्म होने से अस्वीकार है। वादीगण हमारें खिलाफ हमारे कब्जा काश्त की भूमि पर शास्वत व्यादश पाने के अधिकारी नहीं हैं। खाता वादीगण का अलग किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। जवाब अनुतोश में निवेदन किया कि अनुतोष की मद सं. (क–ख) स्वीकार की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। यह कि अनुताष की मद सं. (ग), (घ) वादीगण पाने के अधिकारी नहीं हैं। अतः अस्वीकार है। काउन्टर क्लेम पेश किया कि प्रतिवादीगण अपने–अपने कब्जा काश्त की भूमि का खाता अलग–अलग करवाकर व रकम राज अलग करवाने के अधिकारी है व उसी अनुसार खातेदारी घाषणा पानें के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि निम्न प्रकार से है:–

<u>प्रतिवादी संख्या 1 पूर्णराम :–</u>

चक 9 पीबीएन–बी	प. नं.	किला नं.
	41/302	6 ता 8/.759, 9/.052 की 0.811 है.
	42/302	3 ता 5/.696,2/.132 की 0.828 है.
	कुल 1.639 हैक. नहरी म. गै. मु. रास्ता खाला	

<u>प्रतिवादी सं. 2 ता 5 के कब्जा काश्तः–</u>

चक 9 पीबीएन–बी	प. नं.	किला नं.
	41/302	11 ता 25 की 3.795 है.
	42/302	1/.253 2/.121 की कुल 0.374 है.
	कुल 4.169 हैक्टेयर नहरी म. गै. मु. रास्ता	

अतः जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि हम प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जावें।

प्रतिवादी सं. 9 व 10/1 ता 10/3 की ओर से जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र निम्न पेश किया कि वाद पत्र की दफा 1 पते से संबंधित है जिसे साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने उक्त वाद पत्र के शीर्षक में प्रतिवादीया सं. 9 का नाम हरसुखी देवी गलत अंकित किया है। वास्तविक नाम हरखु देवी है। सजरा खानदान से सम्बंधित है जो जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की दफा 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। जिसे साबित करने का भार वादीगण पर है। वाद पत्र की दफा 4 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। चक 9 पीबीएन–बी की भूमि में जैसाराम का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है। जैसाराम ने अपने हिस्सा की 1.051 हैक्टेयर भूमि दिनांक 09.05.2012 को प्रतिवादी वन्दना व जोगेन्द्र को बैय कर दी है व कब्जा उन्हें वक्त बैयनामा सौंप दिया है। वाद पत्र की दफा 5 मुताबिक राजस्व अभिलेख स्वीकार है। वाद पत्र की दफा में वर्णित बंटवारा अस्वीकार है। जैसाराम वादी सं. 1 का अपने हिस्सा में चक 9 पीबीएन बी की भूमि का कब्जा काश्त इसी चक 9 पीबीएन बी में था जो जरिये बैयनामा प्रतिवादी जोगेन्द्र व वन्दना को दे दिया गया है। मौका पर इस भूमि पर जोगेन्द्र व वन्दना का कब्जा काश्त है। वाद पत्र की दफा 6 में वर्णित यह तथ्य कि वादीगण अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है स्वीकार है परन्तु वादी सं. 1 जैसाराम का वर्तमान में कोई हक व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:10:20 IST
Reason: SelfAttested

17.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं है। वाद पत्र की दफा 6 में वर्णित यह तथ्य कि पारिवारिक बंटवारा वाद पत्र की दफा 5 के मुताबिक किया जा चुका है। अस्वीकार है। वाद पत्र की दफा 7 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। वाद पत्र की दफा 8 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। वादी सं. 1 जैसाराम ने चक 9 पीबीएन–बी में अपना समस्त हिस्सा बैय कर दिया है। इसलिये वह खाता तकसीम करवाने का हकदार नहीं है। वाद पत्र की दफा 9 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। चक नं. 9 पीबीएन–बी के प.नं. 40/301 किला नं. 15 ता 18, 24, 25 की कुल 1.518 है. नहरी मय गैर मुमकिन, प.नं. 40/302 किला नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 की 5.060 है. नहरी मय गैर मुमकिन, प.नं. 41/302 किला नं. किला नं. 1 ता 25 की 6.325 है. नहरी मय गैर मुमकिन, प.नं. 42/302 किला नं. 1 ता 25 की 6.010 है. नहरी मय गैर मुमकिन कुल 18.913 है. नहरी मय गैर मुमकिन भूमि में प्रतिवादीया सं. 9 हरसुखी देवी का 1.362 है. व प्रतिवादी सं. 10/1 से 10/3 की पत्नी व माता श्रीमती तारा देवी का 1.362 है. हिस्सा व प्रतिवादी सं. 10/2 तथा 10/3 जोगेन्द्र व वन्दना कगा 1.051 है. हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख है। हरखु देवी पत्नी भोजाराम व तारादेवी पत्नी छगनलाल सोलंकी के नाम दर्ज प्रतिवाद पत्र की दफा 10 में वर्णित भूमि जरिये बैयनामा वीर सिंह व मंगा सिंह से दिनांक 15.04.2010 को खरीदकर उसी दिन उक्त खरीद भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था। प्रतिवादी जोगेन्द्र पुत्र छगनलाल व वन्दना पुत्री छगनलाल ने वादी सं. 1 जैसाराम के नाम दर्ज चक 9 पीबीएन बी की 1.051 है. भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 07.05.2012 को खरीदकर उसी दिन इस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था। मुताबिक बैयनामा यह भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुकी है। प्रतिवादीगण इस भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का उक्त खातेदारी भूमि पर निम्न प्रकार से शान्तिपूर्वक लगातार कब्जा काश्त है :–

प्रतिवादी सं. 9 हरखुदेवी का 1.362 है., प्रतिवादी सं. 10/1 से 10/3 का छगनलाल, जोगेन्द्र, वन्दना का 1.362 है. ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 10/2, 10/3 जोगेन्द्र, वन्दना का 1.051 है. ब.हि.ब. –

चक	प.नं.	किला नं.	तादादी
9 पीबीएन बी	40/301	15 ता 18, 24, 25	1.518 है.
	40/302	3 ता 6, 7/.233, 8, 15, 16, 25	2.157 है.
		कुल 3.775 नहरी मय गैर मुमकिन	

प्रतिवादीया सं. 10 तारादेवी फौत हो चुकी है। उनके वारीस प्रतिवादी सं. 10/1 से 10/3 है। राजस्व अभिलेख में यह भूमि अभी तारादेवी के नाम है जिसे हम प्रतिवादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए प्रतिवादीगण घोषणा पाने के हकदार है। प्रतिवादीगण का अपने प्रतिवादी पत्र की दफा 12 के मुताबिक लगातार कब्जा काश्त है। मौके पर फसल काश्त की हुई है परन्तु खाता अभी सांझा है। जिसके कारण पक्षकारान के मध्य सींव, बट व रकमराज को लेकर तनाजा बना रहा है। इसलिये हम प्रतिवादीगण अपना खाता तकसीम करवाने के हकदार हैं। वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करने के कारण प्रतिवादीगण को प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करने का हेतुक हासिल हुआ है। प्रतिवाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादीगण का प्रतिवाद पत्र स्वीकार किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:10:20 IST
Reason: SelfAttested

दौराने दावा वादी सं. 1 ने अपना समस्त हिस्सा प्रतिवादी सं. 10/1 से 10/3 को बेचान कर दिया इसलिए दिनांक 29.08.2019 को वादी जैसाराम का नाम वादपत्र से कलमजन किया गया। साक्ष्य वादी हेतु कई अवसर प्रदान किये गये परन्तु उन्होंने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। दिनांक 12.03.2021 को वादीगण एवं वादीगण के वकील उपस्थित

17.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नहीं होने के कारण वादपत्र खारिज किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में साक्ष्य हरखु देवी, छगनलाल, जोगेन्द्र, पूर्णराम व रामप्रताप के बयान हुए। साक्ष्य प्रतिवादी में अन्य कोई प्रतिवादी उपस्थित नहीं इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद किये गये।

प्रतिवादी संख्या 6 में जवाब दावा मय कॉउटंर क्लेम पेश किया गया।

चक	प0न0	कि0न0	रकबा
9 पीबीएन – बी	42/302	6 ता 25	4.808 है0

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

–: आदेश :–

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में विवाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य था। वादी सं. 1 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 10/1 से 10/3 को बेचान कर दिया है। वाद वादीगण खारिज हो चुका है। प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन बाबत् कोई विवाद नहीं है। अतः प्रतिवाद पत्र प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 5, 9 व 10/1 ता 10/3 स्वीकार कर निम्नप्रकार से डिक्री किया जाता है :–

<u>प्रतिवादी संख्या 1 पूर्णराम :–</u>

चक	प. नं.	किला नं.
9 पीबीएन–बी	41/302	6 ता 8/.759, 9/.052 की 0.811 है.
	42/302	3 ता 5/.696,2/.132 की 0.828 है.
	कुल 1.639 हैक. नहरी म. गै. मु. रास्ता खाला	

<u>प्रतिवादी सं. 2 ता 5 :–</u>

चक	प नं.	किला नं.
9 पीबीएन–बी	41/302	11 ता 25 की 3.795 है.
	42/302	1/.253 2/.121 की कुल 0.374 है.
	कुल 4.169 हैक्टेयर नहरी म. गै. मु. रास्ता	

<u>प्रतिवादी संख्या 6 –</u> का 10PBN मे 0.08 है० हिस्सा कम किया जाता है।

चक	प0न0	कि0न0	रकबा
9 पीबीएन – बी	42/302	6 ता 25	4.808 है0

प्रतिवादी सं. 9 हरखुदेवी का 1.362 है., प्रतिवादी सं. 10/1 से 10/3 का छगनलाल, जोगेन्द्र, वन्दना का 1.362 है. ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 10/2, 10/3 जोगेन्द्र, वन्दना का 1.051 है. ब.हि.ब. –

चक	प.नं.	किला नं.	तादादी
9 पीबीएन बी	40/301	15 ता 18, 24, 25	1.518 है.
	40/302	3 ता 6, 7/.233, 8, 15, 16, 25	2.157 है.
		कुल 3.775 नहरी मय गैर मुमकिन	

उक्तानुसार प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाये। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। निर्णय सरे–ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:10:20 IST
Reason: SelfAttested

17.06.2022

(रणजीत कुमार) कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवम् अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

मूल वाद में डिक्री
(आदश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 140/2011

1. जैसाराम उर्फ जसराम पुत्र श्री जगमालराम जाति मेघवाल निवासी चक 9 पीबीएन ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. अर्जनराम पुत्र श्री जगमालराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. आसाराम पुत्र श्री जगमालराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

––वादीगण

बनाम

1. पूर्णराम पुत्र श्री गणपतराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. रामप्रताप पुत्र आदूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. नन्दराम पुत्र आदूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. कमला पुत्री आदूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. निकोदेवी पत्नी आदूराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. बीरबलराम पुत्र गणपतराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. चुन्नीराम पि0मु0 पारी पत्नी लेखुराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 23 दुलमानी जाटान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. अजमेर कौर पत्नी श्री प्रीतम सिंह जाति बाजीगर निवासी वार्ड नं. 24 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
9. हरसुखी देवी पत्नी श्री भोजाराम जाति मोची निवासी राजकीय अस्पताल के पास, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

10/1. छगनलाल सोलंकी पुत्र निवादान जाति मोची साकिन प्रतापनगर जोधपुर तहसील जोधपुर।

10/2. जोगेन्द्र सोलंकी पुत्र छगनलाल जाति मोची साकिन प्रतापनगर जोधपुर तहसील जोधपुर।

10/3 वंदना सोलंकी पुत्री छगनलाल जाति मोची साकिन प्रतापनगर जोधपुर तहसील जोधपुर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

––प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88, 53 व 188 बाबत घोषणा व खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :– 17/06/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:10:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से श्री सोहनलाल [illegible] प्रतिवादी सं. 9, 10/1 से 10/3 की ओर से मदनलाल पारीक, अधिवक्ता [illegible] वाद आज दिनांक को रणजीत कुमार (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया [illegible] डिक्री की जाती है कि

<u>प्रतिवादी संख्या 1 पूर्णराम :–</u>

चक 9 पीबीएन–बी	प. नं.	किला नं.
	41/302	6 ता 8/.759, 9/.052 की 0.811 है.
	42/302	3 ता 5/.696,2/.132 की 0.828 है.

17.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कुल 1.639 हैक. नहरी म. गै. मु. रास्ता खाला

प्रतिवादी सं. 2 ता 5:–

चक 9 पीबीएन–बी	प. नं.	किला नं.
	41/302	11 ता 25 की 3.795 है.
	42/302	1/.253 2/.121 की कुल 0.374 है.
	कुल 4.169	हैक्टेयर नहरी म. गै. मु. रास्ता

प्रतिवादी संख्या 6 –

चक	प0न0	कि0न0	रकबा
9 पीबीएन – बी	42/302	6 ता 25	4.808 है0

प्रतिवादी सं. 9 हरखुदेवी का 1.362 है., प्रतिवादी सं. 10/1 से 10/3 का छगनलाल, जोगेन्द्र, वन्दना का 1.362 है. ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 10/2, 10/3 जोगेन्द्र, वन्दना का 1.051 है. ब.हि.ब. –

चक	प.नं.	किला नं.	तादादी
9 पीबीएन बी	40/301	15 ता 18, 24, 25	1.518 है.
	40/302	3 ता 6, 7/.233, 8, 15, 16, 25	2.157 है.

कुल 3.775 नहरी मय गैर मुमकिन

उक्तानुसार प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाये। तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। (प्रवा 6 का 10 PBN में 0.08 है० [illegible] कम किया जाता है)

आदेश आज दिंनाक 17/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:10:20 IST
Reason: SelfAttested